यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत के माह दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम, ले.प. एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2017 से 03.11.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, ले.प. एवं श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2013 से 06.12.2013 तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2002 से 11/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2013 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला खेल कार्यालय चम्पावत द्वारा जनपद चम्पावत में 10 खेलों में बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	21.07	21.07	66.55	66.55	-	-
2014-15	-	-	23.83	23.83	101.05	101.05	-	-
2015-16	-	-	15.29	15.29	146.71	146.71	-	-
2016-17	-	-	21.02	21.02	97.38	97.38	-	-
2017-18 (09/17) तक	-	-	25.13	16.00	39.32	17.67	-	30.78

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
-----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव खेल 2. अपर सचिव खेल 3. निदेशक खेल 4. अपर निदेशक खेल 5. संयुक्त निदेशक खेल 6. उप निदेशक खेल 7. सहायक निदेशक खेल 8. जिला क्रीड़ा अधिकारी 9. उप क्रीड़ाधिकारी

जनपद स्तर- 1. जिला क्रीड़ा अधिकारी 2. उप क्रीड़ाधिकारी 3. कनिष्ठ सहायक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह नवम्बर 2017 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ...., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभाग द्वारा बिना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये रू. 44.62 लाख का कार्य कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 612/VI-2/2015-22(2)2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा स्पोर्टस स्टेडियम टनकपुर के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु रू. 44.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 31.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई अवशेष धनराशि उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 594/VI/2016-22(2)2015 दिनांक 08 अक्टूबर 2016 के द्वारा रू. 13.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। उक्त धनराशि रू. 44.62 लाख से स्टेडियम का उच्चीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लोहाघाट, चम्पावत को सौंपा गया।

अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य को माह जनवरी 2016 में प्रारम्भ किया गया जो कार्यदायी संस्था के अनुसार तो पूर्ण हो चुका है, परन्तु इकाई के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माह जून 2017 में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को पूर्ण कर रू. 36.02 लाख का व्य्य दर्शाया गया है। किन्तु आतिथि (सितम्बर 2017) तक लेखाबंदी नहीं की गई।

जांच में आगे पाया गया कि विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कोई अनुबंध समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया गया है जिससे समय सारणी के अनुसार कार्यदायी संस्था को कार्य अपूर्ण रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया गया एवं कुछ कार्य शेष है।

अतः विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये बिना रू. 44.62 लाख धनराशि के कार्य कराये जाने एवं फलस्वरूप कार्य के समय से पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
149/2013-14	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार पौंटी	जिला क्रीड़ा अधिकारी	29.06.2011 से 10.08.2015
2.	श्री राजेन्द्र सिंह धामी	जिला क्रीड़ा अधिकारी	10.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र